I/179463/2024

संख्या– 18 /XLI-A/2024-22/06/E-57638

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
श्रीनगर, गढ़वाल।

तकनीकी शिक्षा विभाग, देहरादून, दिनांक 03-जनवरी-2024 ~~दिसम्बर, 2023~~

विषयः– Missing Link योजना के अंतर्गत राजकीय पालीटेक्निक, भलस्वागाज (हरिद्वार) के निर्माणाधीन भवन के कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं. 716/XVII-B-1/2020-09(15)/2019 दिनांक 10.07.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत राजकीय पालीटेक्निक, भलस्वागाज (हरिद्वार) के भवन निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा गठित आंगणन की टी.ए.सी. के उपरांत **संस्तुत लागत रू. 1124.51 लाख** (सिविल कार्यों हेतु रू. 1000.16 लाख एवं अधिप्राप्ति कार्यों हेतु रू. 124.35 लाख) एवं **08 प्रतिशत सैन्टेज प्रभार** हेतु रू. 89.97 लाख, **01 प्रतिशत लेबर सेस** हेतु रू. 9.35 लाख, **जी.एस.टी.** हेतु रू. 19.40 लाख एवं **यू.पी.सी.एल. कनैक्शन** हेतु रू. 7.50 लाख, **इस प्रकार कुल लागत रू. 1250.73 लाख (रू. बारह करोड पचास लाख तिहत्तर हजार मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2020–21 में भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश की 50 प्रतिशत धनराशि रू. 513.90 लाख कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की गयी।

2– पुनः अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग के शासनादेश सं. 2217/XVII-B-1/2021-09(15)/2019 दिनांक 29.11.2021 के द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत कुल राज्यांश रू. 114.20 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रू. 57.10 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3– इस सम्बन्ध में Missing Link Funding योजना के अंतर्गत प्राप्त स्वीकृति एवं आपके पत्र संख्या 4230/नि.प्रा.शि./Missing Link/2023–24 दिनांक 12.08.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय पालीटेक्निक, भलस्वागाज (हरिद्वार) के निर्माणाधीन भवन के कार्यों हेतु कुल स्वीकृत लागत रू. 1250.73 लाख के सापेक्ष आतिथि तक अवमुक्त कुल धनराशि रू. 571.00 लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू. 679.73 लाख (रू. छः करोड़ उन्यासी लाख तिहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त (40 प्रतिशत) के रूप में रू. 2.72 करोड़ (रू. दो करोड़ बहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. प्रश्नगत योजना हेतु उक्त धनराशि को Missing Link Funding से इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु भारत सरकार से अवशेष धनराशि प्राप्त होने पर स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष समायोजन करते हुए राजकोष में जमा करेंगे तथा उक्त धनराशि के राजकोष में जमा होने की सूचना से वित्त विभाग को भी अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. प्रश्नगत परियोजना को इस शर्त के साथ सहमति प्रदान की जा रही है कि परियोजना को उपरोक्तानुसार स्वीकृत लागत में ही समयबद्धता एवं गुणवतापूर्वक पूर्ण किया जायेगा एवं

I/179463/2024

आंगणन का किसी भी दशा में पुनरीक्षित अनुमन्य नहीं होगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए वित्त विभाग के शासनादेश सं.–111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 द्वारा दिए गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के उक्त संदर्भित शासनादेशों दिनांक 10-07-2020 एवं 29-11-2021 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
5. प्रश्नगत कार्य हेतु केन्द्रीय वित्त पोषित प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से अवशेष धनराशि प्राप्त होने के उपरांत प्राप्त धनराशि का Missing Link योजना के अन्तर्गत स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि से अनिवार्यतः नियमानुसार समायोजन करते हुए राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा इसका उत्तरदायित्व निदेशक का होगा।
6. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
7. कार्यों हेतु स्वीकृत आंगणन में सम्मिलित की जा रही जी.एस.टी. देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर वास्तविक एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय। उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर भिन्नता हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
9. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
10. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए।
11. परिसर में अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्रविधानों का विशेष ध्यान रखा जाय।
12. भवन का कार्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
13. प्रश्नगत कार्य हेतु दिनांक 01.11.2023 को सम्पन्न विभागीय व्यय समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
14. निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोड़ी, सीमेन्ट, सरिया, स्टक्चरल स्टील, एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का आई0एस0 कोड के मानकों के अनुसार समय–समय पर NABL Accredited प्रयोगशाला में परीक्षण अवश्य कराया जाय।
15. योजना में प्राविधानित Plant and Equipment की आपूर्ति हेतु Cost Effectiveness तथा Energy Efficient System के अनुरूप कार्यवाई का विशेष ध्यान दिया जाए।
16. प्रावक्लन/डी.पी.आर. का पुनरीक्षण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगा।
17. परिसर में अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्रविधानों का विशेष ध्यान रखा जाय तथा कार्य कराये जाने से पूर्व अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्रविधानों को सम्बन्धित विभाग से वैट करा लिया जाय।
18. विद्युत Items/उपकरणों की आपूर्ति, Installation एवं संचालन हेतु Indian Electricity rule का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए।

I/179463/2024

19. प्रस्तावित भवन में समुचित Ventilation & Sun light की व्यवस्था, ग्रीन बिल्डिंग के मानकों के अनुरूप आवश्यक प्राविधान किये जाएंगे। साथ ही भवन को दिव्यांगजनों हेतु सुगम्य बनाये जाने हेतु नियमानुसार समुचित प्राविधान किये जाने सुनिश्चित किये जाएंगे।
20. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
21. कार्य करने में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
22. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023–24 के अनुदान संख्या–07 के अंतर्गत ''लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–800–अन्य भवन –17–महत्वपूर्ण स्थापना कार्य–00–53–वृहद् निर्माण कार्य' मद के नामें डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या– I/176486 दिनांक 19.12.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

6– यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-1/2012 दिनांक 28.03.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. संलग्नक–1 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 31.03.2023 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 03-01-2024 14:56:40

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी।
6. सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक।
7. वित्त अनुभाग–1/नियोजन अनुभाग।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Dinesh Kumar Punetha
Date: 03-01-2024 16:22:07

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।

IFMS Uttarakhand
उत्तराखण्ड सरकार

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, Finance(S013)

HOD-Director Technical Education(4110)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या -007

आवंटन आई डी-S23120070011
आवंटन पत्र दिनांक-18-DEC-2023

लेखा शीर्षक	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य
	800-अन्य भवन	17-महत्वपूर्ण स्थापना कार्य
	00-0	Voted

4	0	5	9	8	0	8	0	0	1	7	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	6623000	27200000	0	33823000
योग	6623000	27200000	0	33823000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.2,72,00,000 (Rupees Two Crores Seventy Two Lacs Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Signed by C Ravi Shankar
Date: 19-12-2023 20:14:28